राजस्व निगरानी सं. :– 229/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/670

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी सं. :– 229/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/670

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :–

1. लिखमाराम पुत्र जुगराम जाति माली, निवासी गंगाणी, तहसील बावड़ी, जोधपुर।

बनाम्

अप्रार्थी :–

1. ग्राम पंचायत गंगाणी जरिये सरपंच, तहसील भोपालगढ़, हाल बावडी, जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत गंगाणी बैठक दिनांक 05.01.2016 के प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा पारित प्रस्ताव की अनुमालना में पट्टा संख्या 114 मिसल संख्या 62/84–85 निरस्त करते हुए अतिक्रमण हटाने हेतु।

उपस्थिति–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मालमसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेंट्स संख्या की ओर से सरकारी पैरोकार अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश प्रजापति।

:–निर्णय :– दिनांक 23/2/26

निगरानी के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि यह है कि भूमि विकय विलेख ग्राम पंचायत कोर्ट गंगाणी के मिसल संख्या 652/84–85 पट्टा संख्या 114 प्रार्थी के हक में दिनांक 11.09.1985 को जारी किया था, उपरोक्त पट्टा निरस्ती हेतु विपक्षी शेराराम पुत्र पोकरराम वगैरा ने माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर के समक्ष पंचायत निगरानी संख्या 09/2013 प्रस्तुत की, माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर द्वारा दिनांक 16.12.2014 को उपरोक्त निगरानी का निस्तारण करते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत गंगाणी को प्रतिप्रेषित कर सभी पक्षकारों को

सुनवाई को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्यवाही सुनवाई नोटिस प्रार्थी को नही दिया गया । दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी के पुत्र पप्पूराम के मोबाईल नम्बर पर संरपच द्वारा नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब प्रार्थी द्वारा विस्तृत रूप से तथ्य उल्लेख करते हुये दिनांक 20.06.2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 16.12.2014 को पारित निर्णय के विरूद्ध एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 2235 / 2015 बअनवान लिखमाराम बनाम शेराराम वगैरा में अधिवक्ता का देहान्त हो जाने से ग्राम पंचायत गंगाणी द्वारा प्राप्त नोटिस दिनांक 10.06.2025 प्रार्थी को दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त होने पर दिनांक 18.06. 2025 को प्रार्थी के अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता अक्षय दवे से जानकारी चाही, जिस पर सहायक अधिवक्ता ने उपरोक्त रिट याचिका के विचाराधीन होने एवं कार्यवाही बाबत अनभिज्ञता प्रकट की। ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर के आदेश दिनांक 16.12.2014उ के तहत कोई निर्णय पारित नही किया गया एवं न ही सुनवाई का नोटिस प्रार्थी को दी गई एवं न ही सुनवाई की गई एवं मनमाने तरीके से अतिक्रमण होना उल्लेख करते हुए कब्जा हटाने का नोटिस प्रार्थी के पुत्र पप्पुराम को प्रेषित किया गया, प्रार्थी द्वारा विस्तृत जवाब दिनांक 20.06. 2025 को प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत गंगाणी द्वारा किसी भी प्रकार को कोई कार्यवाही किये जाने बाबत प्रार्थी को अवगत नही कराया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गंगाणी के प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.01.2016 निरस्त फरमाये जाने व उचित आदेश न्यायहित में पारित किये जाने का निवेदन किया।

निगरानी में अप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लिखमाराम ने निर्णय दिनांक 16.12.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एसबीसी रिट याचिका 2235 / 2015 लिखमाराम बनाम शेराराम वगैरा प्रस्तुत की, इस रिट याचिका में 6 त्रुटियां पाई गई जिसमें से 3 का निराकरण कर दिया गया किन्तु शेष 3 का निराकरण बावजूद हिदायत के भी नही किय जाने पर इस याचिका काको दिनांक 02.03.2017 को डिसमिस कर दिया गया। याचिका संबंधी सम्पूर्ण जानकारी शशिधर नारायण भट्ट के सहायक अधिवक्ता अक्षय कुमार दवे को भलीभांति थी, क्योकि दोनो का ऑफिस सम्मिलित था। निगरानीधीन प्रस्ताव 06 दिनांक 05.01.2016 के तहत लिखा गया निर्णय लिखमाराम की उपस्थिति में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत माननीय न्यायालय एडीएम संख्या द्वितीय के निर्णय का अंकन किया गया। प्रस्ताव में यह भी अंकित है कि मूल पट्टा लिखमाराम द्वारा बार बार हिदायत के बावजूद भी पेश नही किया गया। यदि लिखमाराम अंसतुष्ट थे

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

तो निर्धारित समयावधि में इसकी अपील पंचायत समिति बावडी में प्रस्तुत की जा सकती थी। यहां अपील का प्रावधान विद्यमान है तथा सम्पूर्ण जानकारी के बावजूद भी 09 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की गई जो स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी लिखमाराम एडीएम कोर्ट के निर्ण में पुनः सुनवाई के निर्देशों की पालना हेतु पाबंद है। माननीय न्यायालय एडीएम कोर्ट के निर्णय दिनांक 16.12.2014 अनुसार पट्टा संख्या 114 को निरस्त किया गया था, इस तथ्य को निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेख तक नही किया गया। लिखित बहस के अंत में निगरानी प्रार्थनापत्र व स्थगन प्रार्थनापत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थी का पट्टा संख्या 114 पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2014 द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत गंगाणी को सभी पक्षों की सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पूर्ण विधिक प्रक्रियाओं की पालना करते हुए निर्णय पारित करने निर्देश के साथ निस्तारित किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकॉर्ड में प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.01.2016 के बैठक उपस्थिति विवरण में लिखमाराम के उपस्थित होने का साक्ष्य नही है तथा न ही बैठक कार्यवाही विवरण में उसके उपस्थिति का हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान है। प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त पट्टा से संबंधित एक याचिका 2235/2015 वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2025 से रिस्टोर की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2014 की अक्षरशः पालना करते हुए प्रकरण को आगामी दो माह में निस्तारित करे। मूल रिकॉर्ड पुनः ग्राम पंचायत को लौटाया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज 23/2/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर